

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 1972/वैशाख 6, 1894

No. 222]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 1972/VAISAKHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April 1972

S.O. 317(E).—Whereas under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Punjab University, constituted under the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act VII of 1947), shall, on and from the 1st day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government, until other provision is made by law in respect of the said University;

And whereas under sub-section (2) of section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said University is governed shall, in its application to that University, have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction;

And whereas consequent on the direction issued by the Central Government under section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the said Punjab University has ceased to function and operate in the areas of the districts of Patiala, Sangrur, Bhatinda and Rupar in the State of Punjab, vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 3748, dated the 12th September, 1969;

And whereas consequent on the passing of the Gurunanak University Amritsar Act, 1969 (Punjab Act XXI of 1969), the said Punjab University has, with effect from the 30th day of June, 1970, ceased to function and operate in the districts of Amritsar, Gurdaspur, Jullundur and Kapurthala, vide Punjab Government notification No. 2201-4 Ed. 1-70/7147, dated the 16th March, 1970;

And whereas consequent on the direction issued by the Central Government under section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the said Punjab University has with effect from the 22nd day of July, 1970, ceased to function and operate in the areas included in the Union territory of Himachal Pradesh (as it was then called), vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 2527, dated the 22nd July, 1970;

And whereas consequent on the passing of the Punjab Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (46 of 1969), the Punjab Legislative Council has been abolished with effect from the 7th day of January, 1970;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3) of the said section 72, the Central Government hereby directs—

(1) that the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act VII of 1947) shall have effect subject to the following further modifications, namely:—

Modifications

In section 13 of the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act VII of 1947), in sub-section (1),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) fifteen shall be elected by the Registered Graduates from amongst themselves, among whom—

(i) two shall be elected to represent the districts of Ferozepur, Hoshiarpur and Ludhiana in the State of Punjab, two to represent the State of Haryana and one to represent the Union territory of Chandigarh; and

(ii) the remaining ten shall be elected from any area including any of the areas mentioned in sub-clause (i);”

(ii) for clauses (d) to (f), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(d) three shall be elected by the Principals of Technical and Professional Colleges from amongst themselves, among whom one shall be elected to represent the districts of Ferozepur, Hoshiarpur and Ludhiana in the State of Punjab, one to represent the State of Haryana and one to represent the Union territory of Chandigarh and three shall be elected by the staff of such colleges from amongst themselves, among whom one shall be elected to represent the districts of Ferozepur, Hoshiarpur and Ludhiana in the State of Punjab, one to represent the State of Haryana and one to represent the Union territory of Chandigarh;

(e) eight shall be elected by the Heads of affiliated Arts Colleges from amongst themselves, among themselves, among whom three shall be elected to represent the districts of Ferozepur, Hoshiarpur and Ludhiana in the State of Punjab, four to represent the State of Haryana and one to represent the Union territory of Chandigarh;

(f) eight shall be elected by the Professors, Senior Lecturers and Lecturers of Affiliated Arts Colleges from amongst themselves, among whom three shall be elected to represent the districts of Ferozepur, Hoshiarpur and Ludhiana in the State of Punjab, four to represent the State of Haryana and one to represent the Union territory of Chandigarh;” and

(iii) in clause (i), the words “one shall be elected by the members of the Punjab Legislative Council from amongst themselves” shall be omitted; and

(2) that nothing contained in this notification shall be deemed to affect the term of office of the Ordinary Fellows holding office as such immediately before the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. F. 17/34/71-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1972

का० आ० 317 (अ).—यतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम (vii) के अधीन गठित पंजाब विश्वविद्यालय, जब तक उक्त विश्वविद्यालय के बारे में विधि द्वारा अन्य उपबन्ध न किया जाए, तब तक उन क्षेत्रों में, जिनकी बाबत यह 1 नवम्बर 1966 के

ठीक पहले कार्य करना था, उक्त दिन से, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाएं, कार्य करता रहेगा ;

और यतः धारा 72 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे किसी निदेश में कोई ऐसा निदेश सम्मिलित हो सकेगा कि कोई विधि, जिसके द्वारा उक्त विश्वविद्यालय शासित होता है, उस विश्वविद्यालय को उसके लागू होने में ऐसे अपवादों और उपन्तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हों ;

और यतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए निदेश के परिणामस्वरूप उक्त पंजाब विश्वविद्यालय का, पंजाब राज्य के पटियाला संगरूर मंडिडा और रोपड़ जिलों के क्षेत्रों में कार्य करना समाप्त हो गया है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3748, तारीख 12 सितम्बर, 1969 देखिए ;

और यतः गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर अधिनियम, 1969 (1969 का पंजाब अधिनियम XXI) के पारित होने के परिणामस्वरूप उक्त पंजाब विश्वविद्यालय का, 30 जून, 1970 से अमृतसर, गुरदामपुर, जालन्धर और कूरथना जिलों में कार्य करना समाप्त हो गया है, पंजाब सरकार की अधिसूचना सं० 2201-4 शिक्षा 1-70/7147 तारीख 16 मार्च 1970 देखिए ;

और यतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 72 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश के परिणामस्वरूप उक्त पंजाब विश्वविद्यालय का 22 जुलाई, 1970 से हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में (जैसा कि उस समय वह कहा जाता था) सम्मिलित क्षेत्रों में कार्य करना समाप्त हो गया है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना, सं० का० आ० 2527, तारीख 22 जुलाई, 1970 देखिए ;

और यतः पंजाब विधान परिषद (उत्पादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 46) के पारित होने के परिणामस्वरूप पंजाब विधान परिषद को 7 जनवरी, 1970 से उत्सादित कर दिया गया है ;

अतः, अब, उक्त धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि—

- (1) पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम vii) निम्नलिखित और आगे उपन्तरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा, अर्थात् :—

उपान्तरण

पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम vii) की धारा 13 में, उपधारा (1) में,—

- (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, स्वयं अपने में से, पन्द्रह निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से—

- (1) दो पंजाब राज्य के फिरोजपुर, होशियारपुर और लुधियाना, जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, दो हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व

करने के लिए और एक चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ; और

(ii) बाकी दस किसी क्षेत्र से, जिसमें उपखण्ड (i) में वर्णित क्षेत्रों में से कोई क्षेत्र सम्मिलित है, निर्वाचित किए जाएंगे ;” ;

(ii) खण्ड (घ) से (च) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

“(घ) तकनीकी और वृत्तिक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा, स्वयं अपने में से, तीन निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक पंजाब राज्य के फिरोजपुर, होशियारपुर और लुधियाना जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा और तीन ऐसे महाविद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा, स्वयं अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक पंजाब राज्य के फिरोजपुर, होशियारपुर और लुधियाना जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा :

(ङ) संबद्ध कला महाविद्यालयों के प्रमुखों द्वारा, स्वयं अपने में से, आठ निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से तीन पंजाब राज्य के फिरोजपुर, होशियारपुर और लुधियाना जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, चार हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ;

(च) संबद्ध कला महाविद्यालयों के प्राचार्यों, ज्येष्ठ प्राध्यापकों और प्राध्यापकों द्वारा, स्वयं अपने में से, आठ निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से तीन पंजाब राज्य के फिरोजपुर, होशियारपुर और लुधियाना जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, चार हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा ; और

(iii) खण्ड (i) में, “पंजाब विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, स्वयं अपने में से, एक निर्वाचित किया जाएगा” शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(2) इस अधिसूचना की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक पहले इस प्रकार पदधारण करने वाले सामान्य अध्ययनों की पदावधि को वह प्रभावी करती है ।

[सं० फा० 17/34/71-राज्य पू०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।